140

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निग -1158- III/16

निगरानी प्र. क्र. /2016

श्री राजेश चौहान अभि० द्वारा आज दि. 11-4-16 को प्रस्तुत

कलर्क ऑफ कोर्ट 11-4-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती सीमा पति संतोष जाति खाती
2. विकमसिंह पित भागीरथ जाति खाती
3. संतोष पिता भागीरथ जाति खाती

निवासीगण ग्राम चिडावद तहसील टोंकखुर्द

4. श्रीमती शान्ताबाई पति बद्रीलाल पिता भागीरथ जाति खाती उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम टंकारिया तहसील व जिला उज्जैन
5. श्रीमती मन्नुबाई पति देवकरण पिता भागीरथ जाति खाती उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम टीगरिया गोगा तहसील व जिला देवास म.प्र.
6. श्रीमती पवित्राबाई पति मोहनलाल पिता भागीरथ जाति खाती उम्र 45 साल निवासी ग्राम मक्सी तहसील व जिला शाजापुर

.... निगरानीकर्ता

विरूद्व

कैलाश पिता भागीरथ जाति खाती उम्र 55 साल निवासी ग्राम चिडावद तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

..... गैरनिगरानीकर्ता

अधिनस्थ न्यायालय अनुभाग अधिकारी सोनकच्छ जिला देवास के प्रकरण कमाक 1/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 17.3.2016 जो धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत था के आदेश से दुखी होकर उचित योग्य न्याय हेतु यह निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता के अन्तर्गत सादर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

:: संक्षिप्त विवरण :: -

1. यह कि ग्राम चिडावद तहसील टोंकखुर्द जिला देवास में एक कृषि खाता है जिनके सर्वे न. 1453 रकबा 1.140 हेक्टेयर, सर्वे न. 1471 रकबा 1.09 हेक्टेयर, सर्वे न. 1473 रकबा 0.30 हेक्टेयर, सर्वे न. 1487 रकबा 0.15 हेक्टेयर, सर्वे न. 1859 रकबा 0.07 हेक्टेयर, सर्वे न. 2682 रकबा 0.04 हेक्टेयर, सर्वे न. 2831 रकबा 0.03 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.800 हेक्टेयर भूमि भागीरथजी के नाम से इन्द्राज होकर उक्त भूमि पैतृक सहदायिनी हिन्दु सम्पत्ति रही है भागीरथजी के वैध वारिस जो पैतृक वैध वारिस है वहां कैलाश, विकमसिंह, सन्तोष, शान्ताबाई, मन्नुबाई, पवित्रा बाई है। तीन भाई व तीन बहन है, इनके माताजी श्रीमती धापुबाई का स्वर्गवास हो गया है, पैतृक भूमि मे तीनो भाईयो और तीनो बहनों का समान हिस्सा है, जो 2.800 हेक्टेयर भूमि में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है जो रकबा 0.46 हेक्टेयर भूमि प्रत्येक को हिस्से में ... है जिसमें से बहनों ने रकबा 0.46, 0.46, 0.46 कुल 1.40 हेक्टेयर भूमि स्वत्व, ... कार्यालय देवास में

3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1158-तीन/16 **जिला** - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश चौहान उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिला में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	